जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.09.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता बालकदास पुत्र श्री रामलाल मौर्य निवासी टिकरा थाना मेहदावल, जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, कां0 सोनू कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद के कारण घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत रमपुरवा कुसुरूखुर्द से कालर ने इवेन्ट संख्या 48959 से से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने से 03 लोगो (1- अनिता पत्नी बालक, 2- बालक पुत्र रामबालक, 3- दिव्या भारती पुत्री बालक निवासीगण ग्राम खटियावां थाना दुधारा संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु एम्बुलेंष 108 की सहायता से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- का0 भरत कुमार सोनी, आ0 इन्द्रजीत वर्मा, हो0चा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 09.09.2024

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में **प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा** ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 321/2024 धारा 376(डी) भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 कयूम उर्फ कांझा पुत्र युसुफ निवासी वार्ड नं0- 08 नगर पंचायत कोसीकला थाना कोसीकला जनपद मथुरा को टेमी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 04.08.2024 को थाना दुधारा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते आज दिनांक 09.09.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री जय प्रकाश दूबे, का0 सोमदत्त साहनी, का0 श्री प्रकाश यादव, म0का0 राजमणि सिंह, हे0का0 चा0 प्रमोद कुमार सिंह।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 09.09.2024

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर के निर्देशन में अग्निशमन अधिकारी द्वारा खलीलाबाद में भगवान गणेश प्रतिमा पाण्डालों में आग से बचाव के प्रति किया गया जागरुक

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी ***श्री अशोक यादव*** व फायर कर्मियों द्वारा दिनांक 09.09.2024 को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर भगवान गणेश के पूजा पाण्डालों में आयोजनकर्ताओं व कार्यकर्ताओं को अग्नि सुरक्षा के कारणों, आग की प्रवृति और आग से बचाव के तरीकों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। अग्नि शमन अधिकारी द्वारा बताया गया कि **घटिया बिजली वायरिंग, रसोई गैस लीकेज, शार्ट सर्किट आदि से आग लगने का खतरा अधिक रहता है, जिन्हें सावधानी बरतने से आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकता है**। यदि आग ठोस पदार्थ में लगी हो तो इसे पानी के साथ बुझाना चाहिए, परन्तु यदि किसी तरल पदार्थ जैसे तेल में लगी आग को पानी से न बुझाएं। इसके लिए सिलेंडर के रूप में आसानी से उपलब्ध **झागयुक्त अग्निशामक यंत्र** का प्रयोग करना चाहिए। फायर कर्मियों द्वारा बताया गया कि पाण्डालों में अग्निशमन यंत्र रखे जिससे आगजनी की घटना के वक्त उससे काबू पाया जा सके।